

प्रेस नोट दिनांक 26.7.2021

थाना मीरगंज जनपद बरेली

थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा दो शातिर चैन स्नेचरों को किया गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से छीनी हुई चैन बेचकर प्राप्त हुए पैसों में से 6000 रु बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मीरगंज श्री दयाशंकर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.7.2021 को उ0नि0 ललित कुमार मय हमराही फोर्स ने मु0अ0सं0 222/21 धारा 356/379 आईपीसी से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 1. वसीम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम हल्दी थाना मीरगंज जनपद बरेली 2. यामीन पुत्र मौहम्मद मियां निवासी ग्राम हल्दी थाना मीरगंज जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से छीनी हुई चैन बेचकर प्राप्त हुए पैसों में से 6000 रु बरामद हुए । गिरफ्तारशुदा अभि0 वसीम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात राह चलते फिरते व्यक्ति को छीनी हुई चैन बेच दी थी । बेची हुई चैन से प्राप्त पैसों में से 18000 रु का APPLE का मोबाइल खरीदा था । खरीदा हुआ APPLE मोबाइल भी अज्ञात व्यक्ति को बेचना बताया गया । शेष 6000 रु दोनों अभि0गणों के कब्जे से बरामद हुए । जिसके आधार पर मु0अ0सं0 222/21 धारा 356/379 आईपीसी मे धारा 411 आईपीसी की वृद्धि की गयी । प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी का विवरण:-

1.मु0अ0सं0 222/21 धारा 356/379/411 आईपीसी से सम्बन्धित छीनी हुई चैन चैन बेचकर प्राप्त किये धन से शेष 6000 रु बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. वसीम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम हल्दी थाना मीरगंज जनपद बरेली
2. यामीन पुत्र मौहम्मद मियां निवासी ग्राम हल्दी थाना मीरगंज जनपद बरेली

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 ललित कुमार थाना मीरगंज जिला बरेली
2. का0 534 रोहित कुमार
3. का0 3267 सोनू कुमार
4. का0 1445 निशान्त सिंह ।

प्रभारी निरीक्षक
थाना मीरगंज जनपद बरेली ।